2020/00164

सरवर्क

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बनेड़ा

किस्म मुकदमा	मुकदमा नं. एवं वर्ष	तारीख दायर	ग्राम का नाम	तारीख फैसल	नं. फैसल	तारीख पैशी
प्रार्थना पत्र	163/020	8/10/020	राक्षी	फैसल 20/5/22		10/12/020 25/2/21 29/4/21 6/7/21 21/9/21 12/4/22 28/?/22

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.05.27 16:07:51 IST
Reason: SelfAttested

बनाम

श्री छीतर पिता हीरा रेगर ... पिता गोपी रेगर
निवासी राक्षी ... निवासी राक्षी
वर्ग सं. 6 ... वर्ग. 37

सायल / ... / अपी. ... अप्रार्थी / रेस्पो.

111, 128 एल. आर. एक्ट

App. A
Crim - 1

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा मुकाम बनेड़ा

श्री छीतर रेगर .... बनाम .... श्री नानू रेगर

दमा 111, 128 एल० आर० एक्ट नं. 163 सन् 2020

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/10/020 वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 LR Act विरूद्ध विपक्षीगण पेश किया गया । प्रार्थना पत्र बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी गण की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक 10/12/020 को पेश हो । 10/12/20 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पिठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण / दौरे अवकाश में पधारें हैं / अन्य राजकार्य में व्यस्त है / अतः अवकाश पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 25/2/21 को पेश हो। आज्ञा से रीडर 25/2/21 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पिठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण / दौरे अवकाश में पधारें हैं / अन्य राजकार्य में व्यस्त है / अतः अवकाश पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 21/5/21 को पेश हो। आज्ञा से रीडर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.05.27 16:07:51 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म 163 /2020	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.05.2022	पत्रावली आज दिनांक को प्रशासन गांव के संग अभियान फोलोअप केम्प के तहत केम्प कोर्ट **सरदारनगर** पर पेश हुई। प्रकरण को अवलोकन किया गया। अवलोकन से **प्रार्थीण** अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके पक्ष में **प्रार्थीण** द्वारा ग्राम **राक्षी** पटवार हल्का **राक्षी** जमाबंदी संवत् **2074 से 2077** तक की संलग्न की गयी है। प्रकरण मूल रूप से **पत्थरगढी / सीमांकन** से संबंधित होने से किसी अन्य खातेदारान / पड़ौसियान के हक अधिकार प्रभावित नहीं होते है न ही किसी प्रकार के हक अधिकार निर्धारित किये जाते है। **प्रार्थीण** के प्रार्थना पत्र में अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी बाबत वर्णित तथ्यों से मेरा समाधान हो जाने से **प्रार्थीण** का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं। अतः **प्रार्थीण** का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली करवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा Signature Not Verified Digitally signed by Anshul Singh Date: 2022.05.27 16:07:51 IST Reason: SelfAttested	

प्रशासन गांवों के संग फोलो अप केम्प सरदारनगर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी अंशुल सिंह आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर – 163 /2020 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1–3 छीतर, लादी, छाउ पिता हीरा रेगर निवासी राक्षी तहसील बनेड़ा
4– रामचन्द्र पिता बगतावर रेगर निवासी राक्षी
5–6 मोहन, राजी पिता बगतु रेगर निवासी राक्षी

–प्रार्थीगण

बनाम

1–2 नानु, शंकर पिता गोपी रेगर निवासी राक्षी 3– ऐजन बेवा गोपी रेगर निवासी राक्षी
4–7 गिरधारी, देबी, गणेश, उगमी पिता मांगु रेगर निवासी राक्षी
8–11 श्रवण, हेमा, भोजा, गजानन्द पिता केला रेगर निवासी राक्षी
12– फुमा पत्नी केला रेगर निवासी राक्षी 13–15 माधु, नानु, मांगी पिता गोदु रेगर निवासी राक्षी
16– उगमी पत्नी गोदु रेगर निवासी राक्षी 17–19 केलाश, मगना, हरदेव पिता गांगा रेगर निवासी राक्षी
20– बरजी बेवा गांगा रेगर निवासी राक्षी 21–22 अणदीराम, बरजी पिता हजारी रेगर निवासी राक्षी
23– सरजु बेवा हजारी रेगर निवासी राक्षी 24– भैरू पिता श्रीराम रेगर निवासी राक्षी
25–26 लादु , देबी पिता पना रेगर निवासी राक्षी 27– घीसी बेवा पना रेगर निवासी राक्षी
28– लाल पिता तेजा रेगर निवासी राक्षी फोत 28/1– दलीचन्द पिता लाला रेगर निवासी राक्षी
29– पानी पिता चान्दु रेगर निवासी राक्षी 30– भगवानिया पिता काना रेगर निवासी राक्षी फोत
30/1 – अशोक पिता भगवानिया रेगर निवासी राक्षी 31– राजु पिता मोती रेगर निवासी राक्षी
31/1 – रामपाल पिता राजु रेगर निवासी राक्षी 32–34 धन्ना, नानु, दुर्गा पिता जग्गा रेगर निवासी राक्षी
35– बरजी बेवा जग्गा रेगर निवसी राक्षी 36– बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बनेड़ा
37– तहसीलदार बनेड़ा

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक :– 20/05/2022

प्रार्थीण की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम **राक्षी** भू०अ०नि० **सरदारनगर** तहसील **बनेड़ा** जिला **भीलवाड़ा** में स्थित आराजी नम्बर **461/5, 462, 468, 524, 525, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1421, 518/2, 526** कुल **किता 16** रकबा **11–14 बीघा** के खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद होता रहता है। इसलिए **प्रार्थीण** अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.05.27 16:07:51 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। **जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 ग्राम राक्षी भू०अ०नि० सरदारनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा** में स्थित **आराजी नम्बर 461/5, 462, 468, 524, 525, 1412, 1413, 1414,**

1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1421, 518/2, 526 कुल किता 16 रकबा 11–14 बीघा भूमि प्रार्थीण के नाम दर्ज होकर संयुक्त खातेदारी खातेदार है। **प्रार्थीण** अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर **प्रार्थीण** का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः **प्रार्थीण** का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

// आदेश //

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा–111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर **ग्राम राक्षी भू०अ०नि० सरदारनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 461/5, 462, 468, 524, 525, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1421, 518/2, 526 कुल किता 16 रकबा 11–14 बीघा** भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक **सरदारनगर** को **1100/– रूपये** कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर उभयपक्षकरान को विधिवत नोटिस तामिल करा उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावे। पत्थरगढी से पूर्व उभयपक्षकारान की लिखित सहमति प्राप्त ली जावे। लिखित सहमति पश्चात उनकी उपस्थिति में ही पत्थरगढ़ी की कार्यवाही सम्पन्न जावें अन्यथा नहीं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एंव स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नही किया जावे। अतः भू0अ0निरीक्षक **सरदारनगर** जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बनेड़ा को पालना हेतु लिखा जावे। आदेश की पालना अपील अवधि समाप्ति पश्चात ही की जावे। अपील अवधि के भीतर आदेश की पालना नहीं की जावे।

निर्णय आज दिनांक **20/05/2022** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर केम्प कोर्ट मुख्यालय **सरदारनगर** पर सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :–

तहसीलदार बनेड़ा के पास भेजकर [illegible] के मुताबिक आदेश पक्षकारान को नोटिस तामिल करा उनकी [illegible] जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.05.27 16:07:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा